2025:CGHC:49664

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील क्रमांक 178/2015

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा – जिला मजिस्ट्रेट राजनाँदगाँव, छत्तीसगढ़।

...अपीलार्थी

विरुद्ध

1. कमलेश कुमार, पिता त्रिलोचन साहू, आयु लगभग 25 वर्ष,

2. त्रिलोचन साहू, पिता स्व. अगर सिंह, आयु लगभग 53 वर्ष,

3. रमशिला साहू, पति त्रिलोचन साहू, सभी निवासी – ग्राम सिंघाभेड़ी, थाना चिलहाटी, जिला राजनाँदगाँव, छत्तीसगढ़।

...प्रत्यर्थीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	:	डॉ. सुरेंद्र कुमार देवांगन, पैनल अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से	:	श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता की ओर से श्री राहिल अरुण कोचर, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

06.10.2025

1. यह अपील अपीलार्थी/राज्य द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है,जो सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 89/2014 में दिनांक 16.06.2015 पारित निर्णय से प्रोद्भूत है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने यहाँ अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थीगण को भारतीय दंड संहिता (संक्षिप्त में भा.द.सं.)की धारा 306 सहपठित धारा 34 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया है।

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में, यह है कि दिनांक 16.10.2014 को लगभग 13:05 बजे, प्रत्यर्थी क्रमांक 1– कमलेश कुमार साहू, जो कि मृतका का पति है, ने यह कहते हुए एक मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–19) दर्ज कराई कि मृतका तेजा साहू के साथ उसका विवाह वर्ष 2011 में उनके समाजिक रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था और वे दोनों अलग–अलग शालाओं में शिक्षक (शिक्षा कर्मी) के रूप में कार्यरत थे। आगे यह भी कथन किया गया कि उनके विवाह से दिनाँक 12.09.2014 को एक संतान का जन्म हुआ और मृतका छह माह के प्रसूति अवकाश पर थी तथा नवजात शिशु का नामकरण संस्कार

दिनाँक 17.10.2014 को तय किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया कि दिनाँक 16.10.2014 को वह प्राथमिक विद्यालय, मंगाटोला में अपनी ड्यूटी करने गया था, जबकि मृतका और उसकी माँ (प्रत्यर्थी क्रमांक 3) घर पर मौजूद थे। दोपहर लगभग 12:00 बजे, उसे पता चला कि मृतका तेजा बाई ने अपने शरीर पर मिट्टीतेल डालकर अपने चाचा शत्रुघ्न लाल (अभियोजन साक्षी–1) के घर में स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। तत्पश्चात, वह घटनास्थल पर गया और पुलिस थाना चिल्हाटी, जिला राजनांदगांव में मामले की सूचना दी। तदोपरांत, प्रदर्श पी–3 के माध्यम से मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही की गई और मृतका के शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया। अभियोजन साक्षी–12 डॉ. आर.आर. धुर्वे ने शवपरीक्षण किया और प्रदर्श पी–15 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह अभिमत दिया गया कि मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु–पूर्व जलने की चोटों के कारण लगा सदमा था और मृत्यु प्रकृति में आत्मघाती थी। विवेचना के दौरान, दिनाँक 30.10.2014 को मृतका के नाना हरि राम साहू (अभियोजन साक्षी–5) ने एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–13) दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण मृतका के साथ शारीरिक मारपीट करते थे, उसे गंदी गालियां देते थे और उस पर गर्भपात कराने का दबाव भी डालते थे, जिसके कारण अंततः उसने स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली; जिसके अनुसरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श पी–18 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। तत्पश्चात, प्रदर्श पी–4 के माध्यम से घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। अभियुक्त/प्रत्यर्थी क्रमांक 1– कमलेश कुमार साहू से प्रदर्श पी–5 के माध्यम से एक डायरी व अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। घटनास्थल से प्रदर्श पी–7 के माध्यम से मिट्टी के तेल की गंध वाले प्लास्टिक के डिब्बे, एक माचिस, मृतका के जले हुए वस्त्र आदि जब्त किए गए। प्रदर्श पी–14 के माध्यम से मृतका और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 का विवाह कार्ड और मृतका की शिक्षक डायरी जब्त की गई। प्रदर्श पी–16 के माध्यम से मृतका के शरीर के जले हुए अंगों के टुकड़े जब्त किए गए। अभियुक्त व्यक्तियों को क्रमशः प्रदर्श पी–8 से पी–10 के माध्यम से अभिरक्षा में लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, सक्षम विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थीगण ने आरोपों से इनकार किया, स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक किया एवं विचारण चाहा।

4. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात, आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थीगण को उनके विरुद्ध विरचित उक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

5. अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित कर अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थीगण को उक्त आरोप से अनुचित रुप से दोषमुक्त किया है। उन्होंने आगे तर्क किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अभियुक्त व्यक्ति/प्रत्यर्थीगण मृतका को तंग एवं प्रताड़ित किया करते थे और प्रत्यर्थीगण द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रताड़ना से तंग आकर उसने स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। यही तथ्य मृतका की मौसी– कृष्णनी साहू (अभियोजन साक्षी–3); मृतका के पिता– चिंता राम साहू (अभियोजन साक्षी–4) और मृतका के नाना– हरि राम साहू (अभियोजन साक्षी–5) के कथनों से भी स्पष्ट है। इसके बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का उचित परिप्रेक्ष्य में विवेचना किए बिना अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः,दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय विपरीतता और अवैधता से ग्रसित है, अतः यह अपास्त किए जाने योग्य है।

6. दूसरी ओर, अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है एवं तर्क किया है कि मृतका और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 का विवाह वर्ष 2011 में उनके संबंधित परिवार के सदस्यों की सहमति से संपन्न हुआ था और दोनों अलग–अलग शालाओं में शिक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने आगे तर्क किया कि मृतका विवाह से पूर्व मानसिक रुग्णता से पीड़ित थी और उसकी गर्भावस्था के दौरान, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने उसकी देखभाल की और उसे बार–बार चिकित्सकीय परीक्षण हेतु लेकर गया। उस अवधि के दौरान, न तो मृतका और न ही उसके परिवार के सदस्यों ने अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थीगण द्वारा तंग करने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि, हालांकि दिनाँक 23.10.2014 को मृतका के पिता (अभियोजन साक्षी–4) ने एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–11) दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 नवजात शिशु के अभिरक्षा के संबंध में मृतका और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव डालता था, किंतु उस रिपोर्ट में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ना या तंग करने के संबंध में कोई आरोप नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क किया कि बाद में, विचारोपरांत, मृतका के नाना हरि राम साहू (अभियोजन साक्षी–5) ने अभियुक्तगण के विरुद्ध एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी–13) दर्ज कराई, जो निराधार है। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय गुण–दोष पर आधारित है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जाफरुद्दीन व अन्य विरुद्ध केरल राज्य, (2022) 8 एससीसी 440 में प्रकाशित प्रकरण में दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप के परिधि पर विचार किया है, जो निम्नानुसार है:–

> 25. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 का अवलंब लेकर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण माना जा सकता है, विशेषकर तब जब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा चुका हो। इसका कारण यह है कि दोषमुक्ति का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की उपधारणा को और सुदृढ़ कर देता है। अतः, दोषमुक्ति देने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को उलटने में अपीलीय न्यायालय को अपेक्षाकृत सतर्क होना चाहिए। इसलिए, अभियुक्त के पक्ष में उपधारणा कमजोर नहीं होती, बल्कि केवल मजबूत होती है। अभियुक्त के पक्ष में उत्पन्न होने वाली ऐसी दोहरी उपधारणा को स्वीकृत विधिक मापदंडों पर गहन संवीक्षा के माध्यम से ही विचलित किया जाना चाहिए।

9. प्रथम अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका तेजा साहू की मृत्यु प्रकृति में आत्मघाती थी।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने इस संबंध में सकारात्मक निष्कर्ष अभिलिखित किया है और डॉ. आर.आर. धुर्वे (अभियोजन साक्षी–12) के विशेषज्ञ चिकित्सा अभिमत के आधार पर मृतका तेजा साहू की मृत्यु को आत्मघाती प्रकृति का माना है। उक्त साक्षी ने शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–15) को साबित किया है, जिसमें मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु–पूर्व दाह क्षति के कारण लगा सदमा बताया गया था और मृत्यु प्रकृति में आत्मघाती थी। डॉ. आर.आर. धुर्वे (अभियोजन साक्षी–12) के कथन के साथ–साथ शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–15) पर विचार करते हुए, मेरा सुविचारित अभिमत यह है कि विचारण न्यायालय ने मृतका तेजा साहू की मृत्यु को आत्मघाती मानकर उचित निर्णय लिया है और मैं विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित उक्त निष्कर्ष की अभिपुष्टि करता हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब, आगामी अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति/प्रत्यर्थीगण प्रश्नाधीन अपराध के कर्ता हैं या नहीं।

12. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 306 के अधीन आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन को सर्वप्रथम यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त की ओर से वैसा दुष्प्रेरण किया गया था जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन परिभाषित है, जिसने मृतका को आत्महत्या करने के लिए विवश किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 निम्नानुसार है:–

> "107. **<u>किसी बात का दुष्प्रेरण–</u>** वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो
>
> **<u>पहला–</u>**उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

<u>दूसरा–</u>उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

<u>तीसरा–</u>उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

13. अभियोजन साक्षी–1 – शत्रुघ्न लाल, जिसके घर में मृतका ने आत्महत्या की थी, ने यह कथन किया है कि घटना के दिन वह और उसके बच्चे विद्यालय गए हुए थे और एक प्रीतम चंद्रवंशी ने उसके पास आकर सूचना दी कि मृतका– तेजा बाई ने उसके घर में स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने स्वीकार किया कि मृतका मानसिक रुग्णता से पीड़ित थी और उसकी अस्थिर मानसिक स्थिति के कारण उसे आवश्यक उपचार के लिए मानसिक चिकित्सालय, देवदा में भर्ती कराया गया था। उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि जिस समय मृतका ने अपने शरीर पर मिट्टीतेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या की, उस समय उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था।

14. अभियोजन साक्षी–3 कृष्णनी साहू, जो मृतका की मौसी है, ने कथन किया है कि मृतका ने उसे सूचित किया था कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 उसे प्रताड़ित करता था और उसके साथ शारीरिक मारपीट करता था। यद्यपि, प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि मृतका की मृत्यु से पूर्व, उसने मृतका द्वारा कथित तौर पर सहन किए गए उत्पीड़न के बारे में किसी को नहीं बताया था। उसने आगे यह स्वीकार किया कि अंतिम संस्कार से लौटने के बाद, जब उसके मायके के नातेदार उसके घर पर रुके थे, तब उसने उन्हें मृतका द्वारा सहन किए गए उत्पीड़न के बारे में जानकारी दी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अभियोजन साक्षी–4 चिंता राम साहू, जो मृतका के पिता हैं, ने कथन किया है कि विवाह के उपरांत उनकी पुत्री (मृतका) और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 तीन माह तक सुखपूर्वक रहे। यद्यपि, जब मृतका गर्भवती हुई, तब प्रत्यर्थी क्रमांक 1 उसे गाली देता था, उसके साथ शारीरिक मारपीट करता था और उस पर गर्भपात कराने के लिए दबाव भी डालता था। इसके विपरीत, प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1– कमलेश, मृतका को नियमित गर्भावस्था जांच के लिए नर्सिंग होम ले जाया करता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के दिन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसका कथन (प्रदर्श डी–2) अभिलिखित किया गया था। यद्यपि, उक्त कथन के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि उसने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतका को तंग या प्रताड़ित किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि विवाह से पूर्व एवं पश्चात, उसने मृतका के साथ किए गए किसी भी तंग या प्रताड़ना के संबंध में प्रत्यर्थियों के विरुद्ध न तो पुलिस में और न ही समाज में कोई शिकायत दर्ज कराई थी।

16. अभियोजन साक्षी–5 हरि राम साहू, जो मृतका के नाना हैं, ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि मृतका का उपचार डॉ. प्रमोद गुप्ता द्वारा किया जा रहा था, जो एक मनोचिकित्सक हैं। उसने आगे स्वीकार किया कि विवाह से पूर्व और प्रसव की अवधि के दौरान, मृतका के माता–पिता उसे उपचार के लिए डॉ. प्रमोद गुप्ता के पास ले जाया करते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रसव के दौरान मृतका अनिद्रा से पीड़ित थी और स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह पर उसे मनोचिकित्सक के पास भेजा गया था। उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि जब मृतका गर्भवती थी और अपने ससुराल में रह रही थी, तब प्रत्यर्थी क्रमांक 1 उसे गर्भावस्था की जांच के लिए नर्सिंग होम ले जाया करता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि मृतका के जीवनकाल के दौरान, उन्होंने न तो पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही कोई सामाजिक बैठक बुलाई।

17. अभियोजन साक्षी–6 राम रतन दुबे, नायब तहसीलदार, ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उन्होंने अभियोजन साक्षी–4 चिंता राम साहू का कथन (प्रदर्श डी–2) अभिलिखित किया था, जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रताड़ना या तंग किए जाने के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अभियोजन साक्षी–13 रामू गुरदे, निरीक्षक, ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना के दिन, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (अभियोजन साक्षी–6) ने मृतका के मायके वालों के कथन अभिलिखित किए थे और उन कथनों में अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृतका के जीवनकाल के दौरान, उसके मायके वालों ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

19. मारियानो एंटो ब्रूनो व एक अन्य विरुद्ध इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस[1] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका 25 में अभिनिर्धारित किया है, जो निम्नानुसार है:

> "25. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के घटकों को एम. अर्जुनन विरुद्ध राज्य, द्वाराः प्रतिनिधत्व, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, (2019) 3 एससीसी 315 में व्यापक रूप से प्रतिपादित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:–
>
> "भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के आवश्यक घटक हैं: (i) दुष्प्रेरण; (ii) मृतक को आत्महत्या करने के लिए सहायता करने, उकसाने या दुष्प्रेरित करने का अभियुक्त का आशय। अभियुक्त का ऐसा कृत्य, जिसमें उसने केवल अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर मृतक को अपमानित किया हो, स्वतः ही आत्महत्या का दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। ऐसा साक्ष्य होना चाहिए जो यह सुझाने में सक्षम हो कि अभियुक्त ने ऐसे कृत्य द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने

1 2022 Livelaw (SC) 834

> का आशय रखा था। जब तक आत्महत्या के लिए उकसाने/दुष्प्रेरण के घटक पूर्ण नहीं होते, अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।"

20. जब वर्तमान प्रकरण का परीक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में निहित विधिक प्रावधानों के आलोक में किया जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन दुष्प्रेरण के उन आवश्यक घटकों को साबित करने में असफल रहा है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन परिभाषित है और जो प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 306 के अधीन आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ऐसा कोई ठोस, सुसंगत या विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को तंग या प्रताड़ित किया गया था। इसके विपरीत, अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि मृतका मानसिक रुग्णता से पीड़ित थी और विवाह से पूर्व तथा पश्चात उसका मनोचिकित्सकीय उपचार चल रहा था। अभियोजन साक्षी–1 शत्रुघ्न लाल और अभियोजन साक्षी–5 हरि राम साहू ने विशिष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मृतका मनोचिकित्सकों से उपचार ले कर रही थी। ये स्वीकृतियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि मृतका लंबे समय से मानसिक रूप से अस्थिर थी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अभियोजन साक्षियों ने स्वीकार किया है, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 का आचरण दर्शाता है कि वह नियमित रूप से मृतका को गर्भावस्था की जांच के लिए नर्सिंग होम ले जाता था, जो उसके कल्याण के प्रति उसकी चिंता को प्रदर्शित करता है और क्रूरता या दुर्व्यवहार के आरोपों का खंडन करता है। यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि मृतका के किसी भी निकट संबंधी ने, जिनमें उसके माता–पिता और मायके के सदस्य शामिल हैं, उसके विवाह से पूर्व या पश्चात में अभियुक्तगण द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस या किसी सामाजिक मंच पर कोई शिकायत नहीं की थी। घटना के दिन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृतका के पिता (अभियोजन साक्षी–4) का कथन (प्रदर्श डी–2) ऐसे किसी भी आरोप पर पूरी तरह मौन है और उसके द्वारा बाद में दिनांक 23.10.2014 को दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–11) की पुष्टि नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, मृतका के नाना हरि राम साहू (अभियोजन साक्षी–5) द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 30.10.2014 को दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–13) भी विचारोपरांत प्रतीत होती है और अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त है। पूर्व में किसी भी शिकायत का अभाव, मृतका के चिकित्सा इतिहास और मृत्यु से पूर्व अभियुक्तगण द्वारा क्रूरता या दुष्प्रेरण के किसी भी सन्निकट कृत्य की कमी, अभियोजन के प्रकरण को अत्यंत कमजोर कर देती है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुझाव दे कि मृतका को अभियुक्तगण द्वारा तंग या प्रताड़ित किया गया था जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप को यथावत रखने हेतु विधि के अधीन आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विस्तृत विमर्श किया और संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतका के साथ शारीरिक मारपीट की गई थी या प्रताड़ित किया गया था और अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था, और इसी आधार पर उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया।

22. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ–साथ विचारण न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत आक्षेपित निर्णय पर विचार करने के उपरांत, मेरा सुविचारित अभिमत यह है कि यहाँ अभियुक्तगण/प्रत्यर्थीगण को उक्त आरोप से दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय उचित एवं न्यायसंगत है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

23. तदनुसार, यहाँ अभियुक्तगण/प्रत्यर्थीगण की दोषमुक्ति के विरुद्ध अपीलार्थी/राज्य द्वारा प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/–

(राधाकिशन अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**